राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 फैक्स: 0141–2701822

email : rajssa _cmecce@yahoo.com

क्रमांक : 15(31) राप्राशिप / जय / सामु.गति. / प्रबंधन मद / दिशा निर्देश / 2017–18 / 5804 दिनांक : 18/8/17

दिशा निर्देश
(सत्र 2017–18)

''आपणी लाडो'' बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम

प्रस्तावना :–

''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं के कल्याण से सम्बन्धित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसएमसी सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों के साथ सभी हितधारियों की जागृति एवं सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के सर्वाधिक विपरीत लिगानुपात वाले 10 जिलों (Gender Critical Districts) के सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ''बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम'' मनाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यालयों में एक रैली आयोजित की जायेगी एवं एसएमसी साधारण सभा की बैठक भी आयोजित की जायेगी। वर्ष 2017-18 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में दस जिलों (Gender Critical Districts) के लिए कुल 14307 विद्यालयों हेतु ₹. 20.60/- लाख रुपये का प्रावधान है।

क्रियाविधि :–

- राज्य के सर्वाधिक विपरीत लिगानुपात वाले 10 जिलों :– (Gender Critical Districts) अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, झुंझुनूं करौली, सवाई माधोपुर एवं सीकर के सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जुलाई-अगस्त माह में एक रैली एवं एसएमसी साधारण सभा की बैठक आयोजित की जायेगी।
- यह गतिविधि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में किसी भी एक दिवस पर आयोजित की जानी है। रैली से चार–पाँच दिन पूर्व से ही प्रार्थना सभा में बच्चों को रैली के आयोजन एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए।
- प्रातः रैली आयोजित की जायेगी जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे एवं शिक्षक भाग लेंगे। अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी यथासंभव रैली में सम्मिलित किया जाए। रैली में प्रचार–प्रसार हेतु बैनर, छोटे–छोटे बोर्ड, तख्तियाँ आदि तैयार की जाये। इसके लिए अध्यापकों एवं बच्चों से सहयोग लिया जाए।
- बैनर एवं तख्ती आदि पर बालिका शिक्षा एवं अन्य बालिकाओं से सम्बन्धित विषयों पर स्लोगन कविताएं जानकारी आदि लिखे जाये।

- रैली विद्यालय के कैचमेंट एरिया के सभी गलियों एवं मौहल्लों से गुजरे। रैली के पश्चात् साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाये। इस गतिविधि के लिए प्रति विद्यालय ₹ 144/- का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग बैनर, तख्ती आदि सामग्री तैयार करने में किये जाए।
- राशि का व्यय एसएमसी के माध्यम से किया जाए एवं व्यय का पूर्ण अभिलेख भी संधारित कर रखा जाए। प्रचार–प्रसार हेतु बनाई जाने वाली सामग्री विद्यालय अभिलेखों में संधारित कर विद्यालय में सुरक्षित रखें।
- रैली के पश्चात् आयोजित की जाने वाली साधारण सभा की बैठक की सूचना गाँव के मुख्य स्थानों जैसे :– ग्राम पंचायत, बाजार आदि स्थानों पर चस्पा की जाए। साधारण सभा की बैठक में सभी अभिभावकों जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के अलावा समुदाय के अन्य हितधारियों को भी शामिल करें। बैठक में एएनएम/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी आदि को भी आमंत्रित किया जाए। बैठक का समय साधारण सभा के सदस्य एवं अन्य संभागियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्धारित किया जाए। इसकी अवधि 1 से 2 घण्टे रखी जाए। साधारण सभा के बैठक अभिलेख में इस बैठक का भी अभिलेख संधारित किया जाए।

साधारण सभा की बैठक में ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए :–

- बालिकाओं के नामांकन कम होने का कारण।
- बालिकाओं के अधिक ड्राप आउट का कारण।
- नामांकन बढ़ाने एवं ड्राप आउट कम करने के उपाय एवं इसमें समुदाय की भूमिका।
- बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।
- बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय एवं उसकी सफाई की व्यवस्था।
- स्थानीय परिस्थितियों से सम्बन्धित बालिकाओं से जुड़े विशेष मुद्दे।

नोट :– रैली व बैठक के दौरान महिला/बालिका रोल मॉडल को आमंत्रित कर उनके संघर्ष/सफलता के अनुभवों की प्रस्तुती करवाई जाए

उपरोक्त के अलावा बालिकाओं से सम्बन्धित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक के निष्कर्ष में बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं उसमें अभिभावकों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य हितधारियों की भूमिका को भी स्पष्ट किया जाये। उक्त कार्यक्रम में ऐसे अभिभावकों को सम्मानित किया जा सकता है जिनकी बेटियों ने शैक्षिक व सहशैक्षिक क्षेत्र में अपने गाँव में उपलब्धि हासिल की हो। बैठक का संचालन एवं संयोजन का दायित्व संस्था प्रधान या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अध्यापक का होगा।

जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार है :-

Awareness for girl child education

S.No.	District	Unit cost of Rs 144 per school (10 Gender critical districts)	
		Phy.	Fin. (in lakhs)
1	Alwar	2142	3.08
2	Bharatpur	1243	1.79
3	Dausa	1204	1.73
4	Dhaulpur	888	1.28
5	Ganganagar	1517	2.18
6	Jaipur	2908	4.19
7	Jhunjhunu	1126	1.62
8	Karauli	1106	1.59
9	Sawai Madhopur	776	1.12
10	Sikar	1397	2.01
	Total	**14307**	**20.60**

(डॉ. जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांक : 15(31) राप्राशिप / जय / सामु.गति. / प्रबंधन मद / दिशा निर्देश / 2017-18 / 5805 दिनांक : 18/8/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त-जिला।
4. उपायुक्त (प्लान) / मॉनिटरिंग, राप्राशिप, जयपुर।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान।
6. रक्षित पत्रावली।

18/8/17

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं. 0141–2709114 फैक्स: 0141–2701822

email : rajssa _cmecce@yahoo.com

क्रमांक : 15(31)रा.स्कू.शि.प./जय/सामु.गति./प्रबंधन मद/दिशा निर्देश/2018–19/3822 दिनांक : 20/7/18

दिशा निर्देश
(सत्र 2018–19)

''आपणी लाडो'' बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम

प्रस्तावना :–

''बेटी बचाओ–बेटी पढाओ'' कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढावा देने एवं बालिकाओं के कल्याण से सम्बन्धित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसएमसी सदस्य, एसडीएमसी स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों के साथ सभी हितधारियों की जागृति एवं सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के समस्त जिलों में सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ''बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम'' मनाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यालयों में एक रैली आयोजित की जायेगी एवं एसएमसी/एसडीएमसी साधारण सभा की बैठक भी आयोजित की जायेगी। वर्ष 2018-19 के वार्षिक कार्ययोजना बजट समस्त जिलों के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 52.53 व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक हेतु 14.02 राशि का प्रावधान है।

क्रियाविधि :–

- राज्य के समस्त जिलों के सभी राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जुलाई अन्तिम सप्ताह में एक रैली एवं एसएमसी साधारण सभा/एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जायेगी।
- यह गतिविधि जुलाई के अन्तिम सप्ताह मे किसी भी एक दिवस पर आयोजित की जानी है। इससे चार–पॉच दिन पूर्व से ही प्रार्थना सभा मे बच्चों को रैली के आयोजन एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए।
- प्रातः रैली आयोजित की जायेगी जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे एवं शिक्षक भाग लेंगे। अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी यथासंभव रैली में सम्मिलित किया जाए। रैली के प्रचार–प्रसार हेतु बैनर, छोटे–छोटे बोर्ड, तख्तियाँ आदि तैयार की जाये। इसके लिए अध्यापकों एवं बच्चों से सहयोग लिया जाए।
- बैनर एवं तख्ती आदि पर बालिका शिक्षा एवं अन्य बालिकाओं से सम्बन्धित विषयों पर स्लोगन कविताएं जानकारी आदि लिखे जाये।
- रैली विद्यालय के कैचमेंट एरिया के सभी गलियों एवं मौहल्लों से गुजरे। रैली के पश्चात् साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाये। इस गतिविधि के लिए प्रति विद्यालय ₹ 100/- का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग बैनर, तख्ती आदि सामग्री तैयार करने में किये जाए।

Scanned by CamScanner

- राशि का व्यय एसएमसी/एसडीएमसी के माध्यम से किया जाए एवं व्यय का पूर्ण अभिलेख भी संधारित कर रखा जाए। प्रचार-प्रसार हेतु बनाई जाने वाली सामग्री विद्यालय अभिलेखों में संधारित कर विद्यालय में सुरक्षित रखें।
- रैली के पश्चात् आयोजित की जाने वाली साधारण सभा की बैठक की सूचना गाँव के मुख्य स्थानों जैसे :- ग्राम पंचायत, बाजार आदि स्थानों पर चस्पा की जाए। साधारण सभा की बैठक में सभी अभिभावकों जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के अलावा समुदाय के अन्य हितधारियों को भी शामिल करें। बैठक में एएनएम/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी आदि को भी आमंत्रित किया जाए। बैठक का समय साधारण सभा के सदस्य एवं अन्य हितधारियों/एसडीएमसी के सदस्यों की सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्धारित किया जाए। इसकी अवधि 1 से 2 घण्टे रखी जाए। साधारण सभा/एसडीएमसी के बैठक अभिलेख में इस बैठक का भी अभिलेख संधारित किया जाए।

साधारण सभा/एसडीएमसी की बैठक में ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए :-

- बालिकाओं के नामांकन कम होने का कारण।
- बालिकाओं के अधिक ड्राप आउट का कारण।
- नामांकन बढ़ाने एवं ड्राप आउट कम करने के उपाय एवं इसमें समुदाय की भूमिका।
- बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।
- बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय एवं उसकी सफाई की व्यवस्था।
- स्थानीय परिस्थितियों से सम्बन्धित बालिकाओं से जुड़े विशेष मुद्दे।

नोट :- रैली व बैठक के दौरान महिला/बालिका रोल मॉडल को आमंत्रित कर उनके संघर्ष/सफलता के अनुभवों की प्रस्तुती करवाई जाए

उपरोक्त के अलावा बालिकाओं से सम्बन्धित अन्य ज्वलन्त मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक के निष्कर्ष में बालिकाओं से जुडी विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं उसमें अभिभावकों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य हितधारियों की भूमिका को भी स्पष्ट किया जाए। उक्त कार्यक्रम में ऐसे अभिभावकों का सम्मानित किया जा सकता है जिनकी बेटियों ने शैक्षिक व सहशैक्षिक क्षेत्र में अपने गाँव में उपलब्धि हासिल की हो। बैठक का संचालन एवं संयोजन का दायित्व पीईईओ/संस्था प्रधान या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अध्यापक का होगा। गतिविधि के आयोजन के उपरान्त गतिविधि से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स व रिकार्ड संधारित किया जायेगा, जो अधिकारियों के अवलोकन हेतु विद्यालय में सुरक्षित रहेगा।

(डॉ. जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांक : 15(31)रा.स्कू.शि.प./जय/सामु.गति./प्रबंधन मद/दिशा निर्देश/2018-19/3823 दिनांक 20/7/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त-जिला।
5. उपायुक्त (प्लान)/मॉनिटरिंग, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि./मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, रमसा एवं एसएसए।
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रमसा एवं एसएसए।
8. पीईईओ अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करें।
9. रक्षित पत्रावली।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

Scanned by CamScanner

		…Schools / Ups	Sec. Schools*		
1	AJMER	1350	494	1.350	0.494
2	ALWAR	2083	735	2.083	0.735
3	BANSWARA	2510	418	2.510	0.418
4	BARAN	1275	291	1.275	0.291
5	BARMER	4135	591	4.135	0.591
6	BHARATPUR	1197	521	1.197	0.521
7	BHILWARA	2323	544	2.323	0.544
8	BIKANER	1604	383	1.604	0.383
9	BUNDI	979	262	0.979	0.262
10	CHITTAURGARH	1413	396	1.413	0.396
11	CHURU	915	483	0.915	0.483
12	DAUSA	1173	359	1.173	0.359
13	DHAULPUR	873	249	0.873	0.249
14	DUNGARPUR	2102	360	2.102	0.360
15	GANGANAGAR	1474	450	1.474	0.450
16	HANUMANGARH	737	336	0.737	0.336
17	JAIPUR	2734	907	2.734	0.907
18	JAISALMER	1014	176	1.014	0.176
19	JALOR	1533	351	1.533	0.351
20	JHALAWAR	1372	319	1.372	0.319
21	JHUNJHUNU	1039	496	1.039	0.496
22	JODHPUR	2873	590	2.873	0.590
23	KARAULI	1078	308	1.078	0.308
24	KOTA	783	301	0.783	0.301
25	NAGAUR	2301	686	2.301	0.686
26	PALI	1347	468	1.347	0.468
27	PRATAPGARH (RAJ.)	1394	185	1.394	0.185
28	RAJSAMAND	1400	289	1.400	0.289
29	SAWAI MADHOPUR	769	292	0.769	0.292
30	SIKAR	1347	582	1.347	0.582
31	SIROHI	759	215	0.759	0.215
32	TONK	1123	320	1.123	0.320
33	UDAIPUR	3530	670	3.530	0.670
Total		52539	14027	52.539	14.027

Scanned by CamScanner

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./आपणी लाडो/दिशा–निर्देश/2020–21/ 14091 दिनांक : 24/8/2020

दिशा निर्देश

(सत्र 2020–21)

''आपणी लाडो'' बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम

प्रस्तावना :–

''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं के कल्याण से सम्बन्धित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसएमसी सदस्य, एसडीएमसी स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों के साथ सभी हितधारियों की जागृति एवं सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के समस्त जिलों में सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ''बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम'' मनाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओ को विद्यालयों में जोडने, ठहराव सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कोविड–19 से बचाव हेतु पोस्टर्स का निर्माण कर गॉव में सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जायेंगे एवं एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक भी आयोजित की जायेगी। वर्ष 2020–21 के वार्षिक कार्ययोजना बजट समस्त जिलों के 52426 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु राशि 104.852 लाख रू व 14841 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु राशि 29.682 लाख रू का प्रावधान है।

क्रियाविधि :–

- राज्य के समस्त जिलों के सभी राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11 अक्टूबर के दिन बालिकाओ को विद्यालयों में जोडने, ठहराव सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कोविड–19 से बचाव हेतु पोस्टर्स का निर्माण कर गॉव में सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जायेंगे एवं एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक भी आयोजित की जायेगी।
- पोस्टर्स का निर्माण 5 अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाये।

2

- पोस्टर्स गॉव में सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जायेंगे और उसी दिन एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक भी आयोजित की जायेगी। इस गतिविधि के लिए प्रति विद्यालय ₹ 200/- का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग पोस्टर्स बनाने में किया जाये।
- राशि का व्यय एसएमसी/एसडीएमसी के माध्यम से किया जाए एवं व्यय का पूर्ण अभिलेख भी संधारित कर रखा जाए। प्रचार–प्रसार हेतु बनाई जाने वाली सामग्री विद्यालय अभिलेखों में संधारित कर विद्यालय में सुरक्षित रखें।
- बैठक का समय एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य की सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्धारित किया जाए। इसकी अवधि 1 से 2 घण्टे रखी जाए। इस बैठक का अभिलेख संधारित किया जाए।

एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए :–

- बालिकाओं के नामांकन कम होने का कारण।
- बालिकाओं के अधिक ड्राप आउट का कारण।
- नामांकन बढ़ाने एवं ड्राप आउट कम करने के उपाय एवं इसमें समुदाय की भूमिका।
- बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।
- बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय एवं उसकी सफाई की व्यवस्था।
- स्थानीय परिस्थितियों से सम्बन्धित बालिकाओं से जुड़े विशेष मुद्दे।

<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–</u>

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशो का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

24/08/2020

(बाबू लाल मीणा)
IAS
राज्य परियोजना निदेशक,समग्र शिक्षा
एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / आपणी लाडो / दिशा–निर्देश / 2020–21 / 14091 दिनाक : 24/8/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
9. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

Aapni Lado

Physical and Financial Target of Districts 2020-21

S.No.	DISTRICT	Total no. of School PS/Ups	Per School @200 Rs.	Total No. of Govt. Composite Sec./Sr. Sec. Schools*	Per School @200 Rs.	Total School (Ele+Sec. /Sr.Sec.)	Per School @200 Rs.
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.(in lakhs)
1	AJMER	1332	2.664	512	1.024	1844	3.688
2	ALWAR	2048	4.096	774	1.548	2822	5.644
3	BANSWARA	2705	5.41	455	0.910	3160	6.32
4	BARAN	1283	2.566	303	0.606	1586	3.172
5	BARMER	4015	8.03	688	1.376	4703	9.406
6	BHARATPUR	1177	2.354	534	1.068	1711	3.422
7	BHILWARA	2300	4.6	561	1.122	2861	5.722
8	BIKANER	1547	3.094	423	0.846	1970	3.94
9	BUNDI	970	1.94	270	0.540	1240	2.48
10	CHITTAURGARH	1407	2.814	408	0.816	1815	3.63
11	CHURU	896	1.792	496	0.992	1392	2.784
12	DAUSA	1160	2.32	372	0.744	1532	3.064
13	DHAULPUR	835	1.67	285	0.570	1120	2.24
14	DUNGARPUR	2271	4.542	390	0.780	2661	5.322
15	GANGANAGAR	1449	2.898	469	0.938	1918	3.836
16	HANUMANGARH	718	1.436	350	0.700	1068	2.136
17	JAIPUR	2745	5.49	941	1.882	3686	7.372
18	JAISALMER	994	1.988	187	0.374	1181	2.362
19	JALOR	1496	2.992	382	0.764	1878	3.756
20	JHALAWAR	1365	2.73	322	0.644	1687	3.374
21	JHUNJHUNU	1017	2.034	509	1.018	1526	3.052
22	JODHPUR	2776	5.552	683	1.366	3459	6.918
23	KARAULI	1055	2.11	307	0.614	1362	2.724
24	KOTA	772	1.544	312	0.624	1084	2.168
25	NAGAUR	2246	4.492	736	1.472	2982	5.964
26	PALI	1331	2.662	487	0.974	1818	3.636
27	PRATAPGARH (RAJ.)	1508	3.016	205	0.410	1713	3.426
28	RAJSAMAND	1392	2.784	295	0.590	1687	3.374
29	SAWAI MADHOPUR	761	1.522	298	0.596	1059	2.118
30	SIKAR	1326	2.652	595	1.190	1921	3.842
31	SIROHI	766	1.532	232	0.464	998	1.996
32	TONK	1114	2.228	328	0.656	1442	2.884
33	UDAIPUR	3649	7.298	732	1.464	4381	8.762
	Total	**52426**	**104.852**	**14841**	**29.682**	**67267**	**134.534**

कोरोना से बचाव के उपाय अपनायें

बार बार
हाथ धोयें

मास्क पहन
कर बाहर जायें

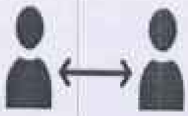

2 गज की दूरी
बनायें रखें